कुम्भाराम बनाम वेहनाराम
2025/138
निर्णय दिनांकः—11-07-2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:—78/2025 दर्ज तिथिः—19.05.2025

1. कुम्भाराम पुत्र टीकमाराम
   जाति जाट निवासी मूंढसर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. वेहनाराम पुत्र गेनाराम
2. केहरी पत्नी जगमाल
   जाति जाट निवासी नया मूंढसर,तहसील धोरीमना
3. ऐलसी पत्नी हरीश कुमार
   जाति जाट निवासी जाणियों की ढाणी,तहसील धोरीमना
4. गंगाराम पुत्र हुकमाराम
5. चूनाराम पुत्र हुकमाराम
6. दुर्गाराम पुत्र हुकमाराम
7. दीपाराम पुत्र हुकमाराम
8. पुरखाराम पुत्र हुकमाराम
   जाति जाट निवासी पाबुबेरा,तहसील धोरीमना
9. जयंता पुत्र जुझाराम नाबालिग वलिया माता शांति देवी
10. नीरज पुत्र जुझाराम नाबालिग वलिया माता शांति देवी
11. जियो पत्नी देवाराम
12. तीजो देवी पत्नी लाखाराम
13. देवाराम पुत्र पन्नाराम
14. राणा पुत्र लाखाराम
15. शांति पत्नी जुझाराम
16. अशोक कुमार पुत्र नैनाराम
17. आम्बाराम पुत्र नैनाराम
18. इसराराम पुत्र नैनाराम
19. कलुदेवी पत्नी नैनाराम
20. खेराज पुत्र कानाराम
21. गुमनीदेवी पत्नी भारूराम
22. गोरधनराम पुत्र कानाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

23. चुतराराम पुत्र नैनाराम
24. चूनाराम पुत्र सालूराम
25. चौखा पुत्र कानाराम
26. जगदीश कुमार पुत्र नैनाराम
27. डूंगराराम पुत्र भारूराम
28. दुदाराम पुत्र नैनाराम
29. देराजराम पुत्र कुम्भाराम
30. दीपाराम पुत्र चोखाराम
31. धर्माराम पुत्र गोरधनराम
32. पुखराज पुत्र नैनाराम
33. प्रकाश पुत्र भारूराम
34. भूराराम पुत्र सालूराम
35. मेहराराम पुत्र सालूराम
36. मिश्राराम पुत्र गोरधनराम
37. वालाराम पुत्र भारूराम
38. सोनाराम पुत्र सालूराम
39. हुकमाराम पुत्र सालूराम
40. हेमाराम पुत्र चोखाराम
41. हिमता राम पुत्र चोखाराम
42. हीराराम पुत्र नैनाराम
    जाति जाट निवासी कोठाला तहसील धोरीमना
43. प्रेमाराम पुत्र गोरधनराम
44. मेवाराम पुत्र गोमाराम
45. रूखमणाराम पुत्र गोमाराम
46. रेखाराम पुत्र गोमाराम
    जाति मेघवाल निवासी कोठाला तहसील धोरीमना
47. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

......................असल अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री हासम खान
अप्रार्थीगण– एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयः–

निर्णय तिथिः–11.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हालआराजी खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

272/1/4.6539 है0 वांके ग्राम नया गूंढसर, पटवार हल्का बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश दिनांक 01.05.2025 के तहत हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 15.05.2025 को सीमाज्ञान कार्यवाही शुरू की गई परन्तु पडौसी खसरों के खातेदार/अप्रार्थीगण द्वारा पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने दी तथा झगड़े पर उतारू होकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगणअपनी आराजी खसरे की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 46 बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की पैमाईशकी जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.**—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल [illegible] नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर [illegible] गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी अंतिम चौसला आधार संवत् 2072–75 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थाई वाकै ग्राम नया मूंढसर,पटवार हल्का बोर चारणान में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम नया मूंढसर के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.05.2025 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करवाई लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा विवाद करने पर कार्यवाही पूर्ण नहीं करवाई जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–111,128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 272 / 1 / 4.6539 है0 **वांके ग्राम नया मूंढसर, पटवार हल्का बोर चारणान,** तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 11.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

11/7/2025

(भागीरथ राम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)